बागपत पुलिस

थाना बड़ौत

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

"मिशन शक्ति टीम ने गर्भवती महिला की मदद कर दिलाया न्याय"

आज दिनांक 28.09.2025 को *थाना बड़ौत स्थित मिशन शक्तिकेन्द्र* पर वादिया आरती पत्नी सुधीर निवासी ग्राम मलकपुर, थाना बड़ौत, जनपद बागपत (जो कि 09 माह की गर्भवती है) द्वारा अपने पति के विरुद्ध गाली-गलौच करने एवं घर से निकालने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

👉 प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए मिशन शक्ति टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग कराई गई।

👉 काउंसलिंग के दौरान पति सुधीर ने लिखित में यह आश्वासन दिया कि वह भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा।

👉 मिशन शक्ति टीम के प्रयासों से दोनों पक्षों केबीच आपसी समझौता कराया गया तथा वादिया को उसके पति के साथ सकुशल रवाना किया गया।

🔷 इस प्रकार *मिशन शक्ति टीम, थाना बड़ौत* द्वारा महिला की शिकायत का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण कर उसकी सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित किया गया।

#MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP

बागपत पुलिस

थाना कोतवाली बागपत

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

<u>गुमशुदा बालक की सकुशल बरामदगी – मिशन शक्ति केंद्र की त्वरित कार्यवाही</u>

आज दिनांक 28.09.2025 को मिशन शक्ति केंद्र, थाना बागपत की टीम ने कस्बा बागपत में बाजार गश्त के दौरान एक बालक समीर पुत्र वसीम, निवासी आशियाना सिटी, लोनी अमन गार्डन, जनपद गाजियाबाद, को घर से बिना बताए बागपत आने के कारण सकुशल बरामद किया गया।

सतर्कता और सूझबूझ के साथ बालक को मिशन शक्ति केंद्र कोतवाली बागपत लाया गया और उसकी माता श्रीमती वसीमा पत्नी वसीम तथा परिवार के अन्य सदस्य रिजवान पुत्र असगर से संपर्क कर बालक उन्हें सुपुर्द किया गया।

बालक को मिशन शक्ति टीम द्वारा आवश्यक काउंसलिंग प्रदान की गई और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

यह कार्य मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों—नारी एवं बाल सुरक्षा, शीघ्र प्रतिक्रिया और मानवीय दृष्टिकोण—की सटीक अभिव्यक्ति है। मिशन शक्ति टीम की सक्रियता, सजगता और त्वरित कार्यवाही अत्यंत प्रशंसनीय है।

#MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP

बागपत पुलिस

थाना बिनौली

आज मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत मिशन शक्तिटीम थाना बिनौली द्वारा रानी पत्नी आरिफ एवं उनके पति आरिफ की काउंसलिंग की गई।

पारिवारिक विवाद के चलते दोनों को थाना बुलाकर समझाया गया।

✅ दोनों ने आपसी समझौते के साथ एक-दूसरे के साथ रहने की इच्छा जताई।

✅ पति आरिफ ने शपथ ली कि अब से वह अपनी पत्नी को कोई परेशानी नहीं देंगे।

😊 दोनों अब हंसी-खुशी साथ जीवन व्यतीत करेंगे।

#MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP

बागपत पुलिस

थाना कोतवाली बागपत

<u>मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत त्वरित पुलिस कार्यवाही</u>

पीड़िता इरफाना, निवासी कस्बा बागपत, ने अपने पति के खिलाफ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसने उनकी 03 वर्षीय पुत्री को जबरन अपने साथ ले लिया है और वापस नहीं कर रहा है।

महिला सुरक्षा के संवेदनशील मामले को देखते हुए, क्षेत्राधिकारी (CO) कार्यालय श्रीमती अंशु जैन के निर्देशानुसार, थाना कोतवाली बागपत की मिशन शक्ति टीम ने तुरंत कार्यवाही शुरू की।

सूचनाओं के संकलन एवं संभावित ठिकानों पर दबिश के बाद, महज 12 घंटे में बालिका को सकुशल बरामद कर उसकी माता को सुपुर्द कर दिया गया।

यह त्वरित कार्यवाही पुलिस की नारी व बाल सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

#MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP

बागपत पुलिस

मिशन शक्ति फेज-5.0 सराहनीय कार्य

उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी ' मिशन शक्ति फेज-5.0' अभियान के तहत, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही मुहिम मे मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पर दिनांक 26.09.25 को पीडिता/वादिया नाबालिग लडकी (उम्र करीब 17 वर्ष) नें शिकायत की कि वादिया के परिवारीजन पीडिता को 12वीं से आगे की पढाई नही करवा रहे है, वादिया उन्हे कहती है तो डांट-फटकारते है व आगे की पढाई करने से रोकते है, इसलिए वादिया अब अपने घर जाना नही चाहती है । प्राप्त शिकायत पर थाना खेकडा पुलिस की मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी उ0नि0 शीतल द्वारा पीडिता/वादिया की सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए वादिया के परिजनों को मिशन शक्ति केन्द्र पर बुलाया गया । पीडिता लडकी के पिता व अन्य परिजनों को एक साथ महिला शक्ति केन्द्र में बैठाया गया और परिजनों व पीडिता की काउन्सलिग करते हुए परिजनों को उच्च शिक्षा के फायदो से अवगत कराया गया । पीडिता के पिता पीडिता की अग्रिम शिक्षा ग्रहण करवाने पर राजी हो गये पीडिता को उसके पिता व परिवारीजनों के साथ हँसी-खुशी रवाना किया गया ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी उ0नि0 शीतल को इस सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति प्रत्र प्रदान कर उज्जवल भविष्य की कामना की गई।

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

बागपत पुलिस

थाना सिंघावली अहीर

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

आज दिनांक 28.09.2025 को मिशन शक्ति टीम थाना सिंघावली अहीर ग्राम चिरचिटा से चैंकिग करते हुए ग्राम कमाला की ओर से होते हुए कस्बा अमीनगर सराय की तरफ आ रही थी तभी ये दो अज्ञात व्यक्ति घायल अवस्था में ग्राम कमाला के सामने रोड पर पडे हुए थे, जिन्होने पूछने पर अपना नाम पदम पुत्र टीकाराम व विनीत पुत्र जगवीर सिंह निवासी कस्बा शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर जोकि अपनी मो0सा0 रजिस्ट्रेशन न0 DL 5SCZ7143 से ग्राम कमाला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत से अपनी रिश्तेदारी में कही जा रहे थे। घायल दोनो व्यक्तियो को तत्काल मिशन शक्ति टीम द्वारा इंमरजेसी हेल्पलाइन न0 112 व 108 पर काल करके प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी पिलाना पहुंचाया गया तथा घायल व्यक्तियो के परिजनो को मिशन शक्ति टीम द्वारा सूचित किया गया ।

#MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट दिनाँक 28.09.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोटः- उक्त अभियुक्त थाना दोघट के मु0अ0सं0 168/25 धारा 333/115(2) बीएनएस में वांछित चल रहा था है ।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाऐ। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाऐगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वंश पुत्र नीरज उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम किशनपुर बिराल थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 06/24 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना रमाला बागपत।
2-मु0अ0स0 335/24 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना रमाला बागपत।
3-मु0अ0स0 168/25 धारा 333/115(2) बीएनएस थाना दोघट बागपत।
4-मु0अ0स0 241/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दोघट बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 कृपेन्द्र सिंह थाना दोघट बागपत।
2-है0का0 607 सुरेन्द्र सिंह थाना दोघट बागपत।
3-है0का0 280 कपिल कुमार थाना दोघट बागपत।

प्रेस नोट

थाना दोघट   दिनाँक- 28.09.2025

थाना दोघट पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त जाहिद उर्फ जिन्दा पुत्र खैराती निवासी निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सुरेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत

2-है0का0 644 रामटाईगर थाना दोघट जनपद बागपत

3-है0का0 352 गोविन्द थाना दोघट जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 28.09.2025

थाना रमाला पुलिस ने थान के मु0अ0सं0 281/25 धारा 109(1)/352/351(3) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .32 बोर मय एक खोखा कारतूस बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.09.25 को थाना रमाला पर वादी श्री प्रवीन पुत्र जगवीर सिंह निवासी ग्राम कण्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त अमरपाल पुत्र रणवीर सिंह निवासी ग्राम कण्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा वादी के साथ गाली-गलोच करना एवं तमंचा से जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर फायर करना एवं जान से मारने की धमकी देना। इस सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 281/25 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 281/25 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .32 बोर मय एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबध में थाना रमाला पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.अमरपाल पुत्र रणवीर सिंह निवासी ग्राम कण्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .32 बोर मय एक खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री सन्नी चौधरी थाना रमाला जनपद बागपत।

2-का0 607 कपिल देव थाना रमाला जनपद बागपत।

3-हो0गा0 523 सतेन्द्रपाल थाना रमाला जनपद बागपत।